# *मानव संसाधन विकास मंत्रालय*

## मांग संख्या 58

## महिला और बाल विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2002-2003 | | | संशोधित 2002-2003 | | | बजट 2003-2004 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | | 2200.00 | 53.64 | 2253.64 | 2085.00 | 53.41 | 2138.41 | 2600.00 | 53.91 | 2653.91 |
| *पूंजी* | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **जोड़** | | **2200.00** | **53.64** | **2253.64** | **2085.00** | **53.41** | **2138.41** | **2600.00** | **53.91** | **2653.91** |
| 1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 2251 | 0.50 | 6.70 | 7.20 | 0.50 | 6.70 | 7.20 | 0.50 | 7.00 | 7.50 |
| **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** | | | | | | | | | | |
| **बाल कल्याण** | | | | | | | | | | |
| 2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं | 2235 | 7.50 | ... | 7.50 | 6.00 | ... | 6.00 | 4.80 | ... | 4.80 |
| | 3601 | 1418.74 | ... | 1418.74 | 1266.95 | ... | 1266.95 | 1426.52 | ... | 1426.52 |
| | 3602 | 16.00 | ... | 16.00 | 15.00 | ... | 15.00 | 13.00 | ... | 13.00 |
| | *जोड़* | *1442.24* | *...* | *1442.24* | *1287.95* | *...* | *1287.95* | *1444.32* | *...* | *1444.32* |
| 3. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं | 2235 | 41.00 | ... | 41.00 | 41.00 | ... | 41.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | 3601 | 247.48 | ... | 247.48 | 337.77 | ... | 337.77 | 599.00 | ... | 599.00 |
| | *जोड़* | *288.48* | *...* | *288.48* | *378.77* | *...* | *378.77* | *600.00* | *...* | *600.00* |
| 4. आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2235 | 8.00 | ... | 8.00 | 6.00 | ... | 6.00 | 10.00 | ... | 10.00 |
| | 3601 | 53.50 | ... | 53.50 | 53.70 | ... | 53.70 | 65.70 | ... | 65.70 |
| | 3602 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.30 | ... | 0.30 | 0.80 | ... | 0.80 |
| | *जोड़* | *62.00* | *...* | *62.00* | *60.00* | *...* | *60.00* | *76.50* | *...* | *76.50* |
| 5. दिवस परिचर्या केन्द्र | 2235 | 10.80 | 15.00 | 25.80 | 7.10 | 15.00 | 22.10 | 18.00 | 14.50 | 32.50 |
| 6. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) को अंशदान | 2235 | ... | 3.89 | 3.89 | ... | 3.10 | 3.10 | ... | 3.10 | 3.10 |
| 7. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान | 2235 | 5.50 | 6.00 | 11.50 | 2.50 | 6.00 | 8.50 | 4.50 | 6.20 | 10.70 |
| 8. अन्य योजनाएं | 2235 | 11.70 | 0.49 | 12.19 | 5.61 | 0.52 | 6.13 | 8.20 | 0.49 | 8.69 |
| **जोड़ बाल कल्याण** | | **1820.72** | **25.38** | **1846.10** | **1741.93** | **24.62** | **1766.55** | **2151.52** | **24.29** | **2175.81** |
| **महिला कल्याण** | | | | | | | | | | |
| 9. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम | 2235 | 1.80 | ... | 1.80 | 1.80 | ... | 1.80 | 3.60 | ... | 3.60 |
| 10. बालिका समृद्दि योजना | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.20 | ... | 0.20 |
| | 3601 | ... | ... | ... | 1.80 | ... | 1.80 | 13.00 | ... | 13.00 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.30 | ... | 0.30 |
| | *जोड़* | *...* | *...* | *...* | *1.80* | *...* | *1.80* | *13.50* | *...* | *13.50* |
| 11. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल | 2235 | 13.48 | ... | 13.48 | 7.20 | ... | 7.20 | 8.98 | ... | 8.98 |
| | 3601 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 |
| | 3602 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 |
| | *जोड़* | *13.50* | *...* | *13.50* | *7.20* | *...* | *7.20* | *9.00* | *...* | *9.00* |
| 12 प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता | 2235 | 23.00 | ... | 23.00 | 23.00 | ... | 23.00 | 22.50 | ... | 22.50 |
| 13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड | 2235 | 14.40 | 12.50 | 26.90 | 14.40 | 12.50 | 26.90 | 20.50 | 12.60 | 33.10 |
| 14. प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र | 2235 | 22.00 | ... | 22.00 | 22.00 | ... | 22.00 | ... | ... | ... |
| 15. स्वाबलम्बन | 2235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.50 | ... | 22.50 |
| 16. अल्पकालिक गृह | 2235 | 13.50 | 2.84 | 16.34 | 10.00 | 2.84 | 12.84 | 13.50 | 2.50 | 16.00 |
| 17. जागरूकता सृजन कार्यक्रम | 2235 | 3.80 | ... | 3.80 | 3.80 | ... | 3.80 | 4.50 | ... | 4.50 |
| 18. राष्ट्रीय महिला आयोग | 2235 | 5.40 | ... | 5.40 | 3.70 | 0.80 | 4.50 | 4.05 | 1.46 | 5.51 |
| 19. स्वशक्ति परियोजना | 2235 | 25.00 | ... | 25.00 | 25.90 | ... | 25.90 | 40.00 | ... | 40.00 |
| 20. राष्ट्रीय महिला कोष | 2235 | 1.00 | ... | 1.00 | 0.01 | ... | 0.01 | 1.00 | ... | 1.00 |
| 21. स्वयंसिद्ध | 2235 | 1.86 | ... | 1.86 | 0.52 | ... | 0.52 | 1.30 | ... | 1.30 |
| | 3601 | 16.52 | ... | 16.52 | 8.36 | ... | 8.36 | 16.50 | ... | 16.50 |
| | 3602 | 0.12 | ... | 0.12 | 0.12 | ... | 0.12 | 0.20 | ... | 0.20 |
| | *जोड़* | 18.50 | ... | 18.50 | 9.00 | ... | 9.00 | 18.00 | ... | 18.00 |
| 22. स्वाधार | 2235 | 13.50 | ... | 13.50 | 9.00 | ... | 9.00 | 13.50 | ... | 13.50 |
| 23. अन्य कार्यक्रम | 2235 | 0.58 | 0.15 | 0.73 | 0.67 | 0.15 | 0.82 | ... | 0.10 | 0.10 |
| **जोड़-महिला कल्याण** | | **155.98** | **15.49** | **171.47** | **132.28** | **16.29** | **148.57** | **186.15** | **16.66** | **202.81** |
| **जोड़-समाजिक सुरक्षा और कल्याण** | | **1976.70** | **40.87** | **2017.57** | **1874.21** | **40.91** | **1915.12** | **2337.67** | **40.95** | **2378.62** |
| **पोषाहार** | | | | | | | | | | |
| 24. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन | 2236 | 0.05 | ... | 0.05 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 |
| | 3601 | 0.85 | ... | 0.85 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| | 3602 | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 |
| | *जोड़* | *1.00* | *...* | *1.00* | *0.01* | *...* | *0.01* | *0.03* | *...* | *0.03* |

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2002-2003 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | संशोधित 2002-2003 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | बजट 2003-2004 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. अन्य योजनाएं | 2236 | 1.80 | 6.07 | 7.87 | 1.78 | 5.80 | 7.58 | 1.80 | 5.96 | 7.76 |
| **कुल-पोषाहार** | | **2.80** | **6.07** | **8.87** | **1.79** | **5.80** | **7.59** | **1.83** | **5.96** | **7.79** |
| 26. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान | 2552 | 220.00 | ... | 220.00 | 208.50 | ... | 208.50 | 260.00 | ... | 260.00 |
| **कुल जोड़** | | **2200.00** | **53.64** | **2253.64** | **2085.00** | **53.41** | **2138.41** | **2600.00** | **53.91** | **2653.91** |

| **ग. आयोजना परिव्यय*** | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 22251 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 |
| 2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 22235 | 1976.70 | ... | 1976.70 | 1874.21 | ... | 1874.21 | 2337.67 | ... | 2337.67 |
| 3. पोषाहार | 22236 | 2.80 | ... | 2.80 | 1.79 | ... | 1.79 | 1.83 | ... | 1.83 |
| 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | 220.00 | ... | 220.00 | 208.50 | ... | 208.50 | 260.00 | ... | 260.00 |
| **जोड़** | | **2200.00** | **...** | **2200.00** | **2085.00** | **...** | **2085.00** | **2600.00** | **...** | **2600.00** |

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं** इसमें विभाग के सचिवालय और इसके वेतन और लेखा कार्यालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **समेकित बाल विकास सेवा** : इसमें छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवाएं, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल होती है। 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार 5652 ब्लाकों की स्वीकृति दी गई है। इनमें विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस स्कीम सहित 4761 ब्लाक आईसीडीएस के (सामान्य) अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2003-04 में आईसीडीएस (सामान्य) के लिए 1444.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 231.65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2002-03 में, विभाग ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों एंव सहायकों के मानदेय में 1.4.2002 से क्रमशः 500 रुपए प्रतिमाह और 240 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि है।

3. **विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई. सी.डी.एस. परियोजना** : परियोजना बिहार के 210 ब्लाकों में और मध्य प्रदेश के 210 ब्लाकों में प्रचालन में थी। बिहार का बिहार तथा झारखंड राज्यों और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्यों में पुर्नगठन होने के बाद इन वाले राज्यों को क्रमशः 84,126, 88 और 156 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। आईसीडीएस-II परियोजना के विस्तार और पुर्नसंरचना के बाद जिससे विस्तारित अवधि के लिए आन्ध्र प्रदेश को आईसीसीएस-आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना भी शामिल थी, कुल 900 परियोजनाएं केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रचालन में थीं। इन सामान्य आई.सी.डी.एस. क्रियाकलापों के अलावा, कतिपय अतिरिक्त घटक जैसे कि किशोर लड़कियों हेतु स्कीमों और ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण चयन के आधार पर ब्लाक स्तर पर गोदाम-एवं-सी.डी.पी.ओ. कार्यालय तथा संचार तथा परियोजना प्रबन्धन निविष्टियों का सुदृढीकरण भी शामिल किए गए हैं। 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों में की गई 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था में से लगभग 420.00 करोड़ रुपए विश्व बैंक सहायता है।

4. **आईसीडीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम** : आईसीडीएस स्कीम में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व है। अप्रैल, 1999 से देशभर में चलाई गई विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना उदिशा एक नई पहल है। यह एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, चुनिंदा प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य सरकारों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आंशिक व्यय के लिए विश्व बैंक सहायता भी उपलब्ध है। वर्ष 2002-03 के दौरान, कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रशिक्षण के विकेन्द्रीकरण के जरिए राज्य की विशिष्ट निविष्टयों में वृद्धि करने के लिए इस कार्यक्रम की पुनर्सरंचना की गई है। इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 2003-04 के लिए क्षेत्र के लिए 8.50 करोड़ रुपए की राशि सहित 85 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है।

5. **दिवस परिचर्या केंद्र** : इस स्कीम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित जिनकी पारिवारिक आय 1800 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है, उनके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिवस पोषण सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के अधीन चलाए जा रहे शिशु सदनों में ऐसे बच्चों, जिनके अभिभावक नौकरी करते हैं अथवा बीमारी के कारण अक्षम होते हैं और उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते है, के स्वास्थ्य निरीक्षण, पूरक पोषाहार, डाक्टरी जांच तथा प्रतिरक्षण आदि की व्यवस्था करते हैं । यह स्कीम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय स्तर के दो अन्य स्वयंसेवी संगठनों के जरिए पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है। देश में शिशु देख-रेख सेवाओं को व्यवस्थित तरीके से और भागीदारी सुनिश्चित करके बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। कार्य बल में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए क्रेश और डे केयर केन्द्रों का विस्तार अधिक रूप में सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग के तत्वावधान में नये क्रेशों और डे केयर केन्द्र सेवाओं के लिए मानकों को समर्थन और संवर्द्धन किया जायेगा। वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 14.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जायेगी।

6. **संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) को अंशदानः** संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि में भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष व्यवस्था की जाती है।

7. **राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.)**: इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास की व्यापक समीक्षा और राष्ट्रीय बाल नीति का अनुपालन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और संवर्धन करना है। यह संस्थान अनुसंधान एवम् मूल्यांकन अध्ययन का संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों (सेमीनारों), कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजन करती है, लोक-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करती है और गुवाहाटी, बंगलौर, लखनऊ तथा इंदौर स्थित अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों सहित अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण, अनुसंधान परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है।

पिछले कुछ वर्षों में यह संस्थान स्व-शक्ति एवं स्वयं सिद्ध जैसे महिला अधिकारिता कार्यक्रमों पर आधारित स्व-सहायता समूहों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण एजेंसियों के रूप में उभर कर सामने आया है। अब इस संस्थान का दर्जा बढ़ा कर उत्कृष्टता के विश्व स्तरीय केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है जो बच्चों

और महिलाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए एक नोडल साधन और क्रिया-कलाप केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। यह संस्थान विश्व स्तरीय मानकों के साथ एक प्रलेख एवं पुरातत्व केन्द्र भी स्थापित करेगा जो महिलाओं और बच्चों पर सभी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सामग्री के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा। वर्ष 2003-04 के लिए योजना के अंतर्गत 4.50 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 6.20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 0.50 करोड़ रुपए प्रदान किए जायेंगे।

8. **अन्य योजनाएं** : *बाल कल्याण :* इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल बोर्ड, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्व बाल दिवस, भारत विदेश आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अंशदान, अनुसंधान प्रकाशन, तथा सामाजिक रक्षा, जन शिक्षा एवं सूचना प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सामग्री एवं सूचना तथा राष्ट्रीय बाल आयोग हेतु प्रावधान शामिल है।

9. **महिला शिक्षा के लिए गहन पाठ्यक्रम** : यह स्कीम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर सकती है। यह स्कीम उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और बाद में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर विद्यालय स्तरीय परीक्षाओं के लिए पाठयक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। वर्ष 2003-04 के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 0.40 करोड़ रुपए की राशि सहित 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

10. **बालिका समृद्धि योजना** : गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह नयी स्कीम 1997 से शुरू की गयी। इस स्कीम का राज्य सरकारों को अन्तरण करने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद ने अभी अनुमोदन नहीं दिया है। इसलिए, विभाग ने वर्ष 2003-04 के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

11. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल** : जिन कामकाजी महिलाओं की आय प्रतिमाह 16,000/- रुपए से अधिक न हो उन्हें उचित एवं किफायती आवास प्रदान करने के लिये कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण और बने-बनाए होस्टलों की खरीद के लिये पात्र स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में, स्कीम के पैरामीटरों में संशोधन करते हुए कार्यक्रम पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2003-04 में 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

12. **प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता** : इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योग, मात्स्यिकी, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रकों में महिलाओं के कार्य कौशल को सुदृढ़ करना एवं सुधारना है और इसके द्वारा इन क्षेत्रकों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उनकी आय-संवर्धक योग्यताओं को बढाना है। 2003-04 में 22.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 2.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

13. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड** : देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा दने के लिए सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्रक के बीच एक अन्तरापृष्ठ के रूप में 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) की स्थापना की गई थी। कुछ वर्षों से सीएसडब्ल्यूबी ने महिलाओं और बच्चों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के कल्याण और विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वयन के अधीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए गहन पाठयक्रम, जागरुकता उत्पन्न करने संबंधी कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवार परामर्श केन्द्र, महिला मंडल और अल्पकालिक आवास गृह शामिल हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है। दसवीं योजना के दौरान, पारिवारिक मंत्रणा केन्द्र के कार्यक्रम को बढ़ाने और उन्नत बनाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। वर्ष 2003-04 में सीएसडब्ल्यूबी का योजनागत परिव्यय 20,5 करोड़ रुपए और आयोजना-भिन्न परिव्यय 12.6 करोड़ रुपए रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

14. **स्वावलम्बन** : "प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र" स्कीम का नाम बदल कर "स्वावलम्बन" कर दिया गया है। यह स्कीम समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाली स्त्रियों को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत व्यवसायों का प्रशिक्षण देने और तदोपरान्त उन्हें अनवरत आधार पर रोजगार दिलाने के लिए है। स्कीम का आंशिक वित्तपोषण नार्वेजियन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहकारी एजेन्सी (नोराड) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2003-2004 में 22.5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी।

16. **अल्पकालिक गृह** : यह स्कीम उन महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और पुनर्वास किए जाने के लिए है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक खतरे का सामना कर रही हैं। इस स्कीम में चिकित्सा सम्बन्धी देख-भाल, मनोवैज्ञानिक उपचार, रोगी सम्बन्धी कार्य सेवाएँ, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियां और समायोजन की सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था समायोजन किए जाने की गई है। विभाग ने अल्पकालिक आवास गृहों के तंत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ताकि घरेलू हिंसा और परत्यक्त एंव अनाथ महिलाओं के पुर्नवास की जरूरत जैसी समस्याओं का कारगर ढंग से निवारण किया जा सके। आशा की जाती है कि अल्पकालिक आवास गृह असहाय महिलाओं के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे। वर्ष 2003-04 में, 13.50 करोड़ रुपए योजनागत और 2.50 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

17. **जागरूकता सृजन कार्यक्रम (ए.जी.पी.)** : इस कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाने का उद्देश्य उन के मार्ग में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनके बीच एक संगठित गतिविधि की भावना जागृत करना है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक शिविर के लिए 10,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

18. **राष्ट्रीय महिला आयोग** : राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करने के लिए तथा महिलाओं से संबंधित अथवा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी केन्द्रीय और राज्य कानूनों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। यह महिलाओं से उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए याचिकाएं प्राप्त करता है। यह अपने आदेश के तहत कार्यों के अनुरक्षण और निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक सांविधिक निकाय है। वर्ष 2003-04 में 4.05 करोड़ रुपए योजनागत और 0.45 करोड़ रुपए की योजना-भिन्न राशि की व्यवस्था की गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 0.45 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

19. **स्वशक्ति परियोजना** : इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में "कृषि" क्रिया-कलापों में संलग्न महिलाओं का गतिशील स्व-सहायता समूहों के गठन के जरिए विकास करना और उन्हें अधिकारिता प्रदान करना है, यह परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त है और इसका कार्यान्वयन बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में महिला विकास निगमों और समितियों के माध्यम से किया जाता है। चूंकि अधिकांश स्व-सहायता समूह, कृषि/कृषि-भिन्न क्रियाकलापों पर सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन जैसे कार्यों तथा अन्य दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण परिपक्व हो गए हैं इसिलए वर्ष 2003-04 के लिए 40 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

20. **राष्ट्रीय महिला कोषः** राष्ट्रीय कोष की स्थापना 1993 में 31 करोड़ रुपये की संचित निधि से की गयी थी। इस समय, यह कोष गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को छूट रहित ऋण प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है तथा संचित निधिको 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया गया है। आवश्यकता को देखते हुए क्रमिक रूप से इसमें वृद्धि की जाएगी।

21. **स्वंयसिद्ध** : स्वयं सिद्ध एक छह वर्षीय केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसका कुल परिव्यय 116.30 करोड़ रुपए का है। स्व-सहायता समूहों के गठन

पर आधारित महिलाओं के विकास एवं अधिकारिता के लिए यह एक देश व्यापी एकीकृत परियोजना है जिसमें विभिन्न स्कीमों के परिवर्तन और अल्प ऋण की सुलभता एवं सूक्ष्म माइक्रो उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2003-04 के लिए बजट अनुमानों में 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।

22. **स्वाधारः** कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण की जरुरत को स्वीकारते हुए, वर्ष 2001-02 में एक नई योजना स्वाधार शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, यौन-व्यापार की शिकार, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार, मानसिक रूप से विक्षिप्त और असहाय महिलाओं को भली-प्रकार से पुनर्वास किया जाना है। इस योजना में भोजन और आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सहायता मुहैया कराई जाती हैं। इस योजना में असहाय महिलाओं के लिए 'हेल्प-लाइन' स्थापित करने की भी कल्पना की गई है। योजना के तहत मंजूर की गई परामर्श और हेल्प-लाइन की परियोजनाएं विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घरेलू हिंसा विधेयक के उपबंधों के कार्यान्व्यन के प्रयासों की अनुपूर्ति करेंगी। 2003-04 के बजट अनुमानों में 13.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

23. **अन्य कार्यक्रम :** वर्ष 2003-04 में आयोजना-भिन्न के अधीन 0.10 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

24. **राष्ट्रीय पोषाहार मिशनः** 1. प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2001 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण ने यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया जाएगा और इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की किशोर बालिकाओं और गर्भवती तथा स्तन्यदा माताओं को सब्सिडी प्राप्त दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा । 2. मिशन के लिए दो-स्तरीय संचरना की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसकी कार्यकारी समिति मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन होगी। मिशन के गठन और विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

25. **अन्य योजनाएं (पोषाहार)**ः खाद्य एवं पोषण बोर्ड की गैर-आयोजना संरचना केन्द्र और राज्य स्तरों पर राष्ट्रीय पोषण नीति के निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए उपाय करता है और विभिन्न स्तरों पर पोषण संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। समुदाय की पोषण शिक्षा, फलों एवं सब्जियों के घरेलू स्तर पर संरक्षण, निम्नतम स्तर के कर्मचारियों की पोषण अभिमुखता में पोषण प्रर्दशन कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के जरिए चलाया जाता है और उन का प्रशिक्षण एकीकृत पोषण शिक्षा शिविरों और विषय परिचायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन कर के किया जाता है। सामूहिक जागरूकता अभियानों का आयोजन राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, विश्व मातृ दुग्ध पोषण सप्ताह, विश्व खाद्य दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय समारोहों में किया जाता है।

26. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की स्कीमों हेतू एकमुश्त प्रावधानः** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की स्कीमों/परियोजनाओं के लिए है।